डीग में अत्याधुनिक फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण

भरतपुर। डीग-कुम्हेर विधानसभा क्षेत्र में स्वच्छता एवं सतत विकास को नई दिशा देते हुए विधायक डॉ. शैलेश दिगम्बर सिंह ने डीग नगर में 15 कीएलडी क्षमता वाले अत्याधुनिक फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किया।

लगभग 3.63 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित यह परियोजना क्षेत्र के शहरी विकास एवं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। यह प्लांट आधुनिक एमबीबीआर तकनीक से सुसज्जित है, जो फीकल स्लज के वैज्ञानिक एवं सुरक्षित उपचार को सुनिश्चित करेगा।

इस परियोजना से 45 हज़ार नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा, जिससे नगर की स्वच्छता व्यवस्था में व्यापक सुधार आएगा तथा भूजल एवं पर्यावरण प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण संभव हो सकेगा।

इस अवसर पर विधायक डॉ. शैलेश सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राज्य सरकार स्वच्छता, सुशासन और सतत विकास के मूल सिद्धांतों पर कार्य करते हुए प्रदेश के प्रत्येक नगर और गांव को आधुनिक सुविधाओं से सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि डीग में स्थापित यह प्लांट न केवल स्वच्छ भारत मिशन की अवधारणा को मजबूती देगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित करेगा।

उन्होंने आगे कहा कि यह परियोजना जनस्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जलजनित बीमारियों में कमी आएगी और नागरिकों को स्वच्छ वातावरण प्राप्त होगा।

विधायक ने इस परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार, संबंधित अधिकारियों, तकनीकी विशेषज्ञों एवं सभी हितधारकों का आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने नगरवासियों से अपील की कि वे इस सुविधा का समुचित उपयोग करते हुए स्वच्छता बनाए रखने में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। यह परियोजना डीग नगर के समग्र एवं सतत विकास की दिशा में एक सशक्त कदम है, जो आने वाले समय में क्षेत्र को स्वच्छ, स्वस्थ और पर्यावरण के अनुकूल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस अवसर पर एडीएम डीग, आयुक्त नगर परिषद डीग, भाजपा जिला उपाध्यक्ष जगदीश अजान, जिला प्रवक्ता भावना गंधी, डीग शहर मंडल अध्यक्ष ललित तिवारी, डीग ग्रामीण मंडल अध्यक्ष राकेश गिरसे, पूर्व मंडल अध्यक्ष अनिल गुप्ता, जगदीश टकसालिया, राजेंद्र खंडेलवाल सहित मंडल पदाधिकारी व पार्षदगण मौजूद रहे।

विधायक डॉ. शैलेश दिगम्बर सिंह ने डीग नगर में 15 कीएलडी क्षमता वाले अत्याधुनिक फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किया।

■ विधायक डॉ. शैलेश दिगम्बर सिंह ने कहा कि डीग में स्थापित प्लांट न केवल स्वच्छ भारत मिशन की अवधारणा को मजबूती देगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित करेगा

'मतदान केन्द्रों पर निर्वाचक नामावलियों में दावे'

■ कार्यक्रम के दौरान नियुक्त प्रगणक द्वारा मतदाताओं से प्राप्त निर्धारित दस्तावेजों को मय फार्म के कार्यालय में दैनिकरूप से जमा करवाया जाना एवं विशेष तिथियों को मतदान केन्द्र पर उपस्थित रहकर निर्वाचन से संबंधित कार्य को प्राथमिकता से किया जाना है

टोंक। नगर परिषद टोंक के आगामी चुनाव के लिए निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन 24 मार्च को सभी वार्डो में स्थित मतदान केन्द्रो पर किया जा चुका है, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, नगरपरिषद, (एसडीएम) टोक हुक्मीचन्द रोहलानिया ने बताया कि अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 के संदर्भ में नगरपरिषद चुनाव के लिए निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण हेतु नगर परिषद क्षेत्र टोंक के सभी 60 वार्डो के 124 मतदान केन्द्रो के लिये प्रगणक नियुक्त किये गये है।

उन्होंने बताया कि 25 मार्च को नगरपरिषद कार्मिको एंव प्रगणको द्वारा मतदान केन्द्रों पर वार्ड सभा का आयोजन किया जाकर निर्वाचक नामावलियों का पठन किया गया। निर्वाचक नामावली आम जन के निरीक्षण के लिये उपलब्ध करवाई गई। विशेष तिथि 29 मार्च (रविवार) एवं 5 अप्रेल (रविवार) को सभी प्रगणक मतदान केन्द्रो पर उपस्थित रहकर निर्वाचक नामावलियों के संबध में दावे-आपत्ति प्राप्त करेंगे। निर्वाचक नामावलियों में दावे-आपत्ति प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 7 अप्रेल है, निर्वाचक नामावलियों का अन्तिम प्रकाशन 22 अप्रेल 2026 को किया जायेगा। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) टोंक ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान नियुक्त प्रगणक द्वारा मतदाताओं से प्राप्त निर्धारित दस्तावेजों को मय फार्म के कार्यालय में दैनिकरूप से जमा करवाया जाना एवं विशेष तिथियों को मतदान केन्द्र पर उपस्थित रहकर निर्वाचन से संबंधित कार्य को प्राथमिकता से किया जाना है। उन्होंने बताया कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र टोंक (96) के समस्त संस्थाप्रधान व कार्यालयाध्यक्ष को निर्देशित किया जाता है कि नगर परिषद् क्षेत्र टोंक के 124 मतदान केन्द्रों पर नियुक्त प्रगणक जो आपके अधीनस्थ कार्यालय, विद्यालय से है को 25 मार्च से 7 अप्रैल तक यह कार्य पूर्ण करने के लिए मूल पदस्थापन कार्यालय व विद्यालय समय से कार्य शिथिलता प्रदान की जाएं। साथ ही पर्यवेक्षकगणों को कार्यालय समय प्रातः 10 से दोपहर 2 बजे तक कार्य शिथिलता दी जाएं।

निर्वाचन संबंधित कार्यवाही में लापरवाही करने पर संबंधित कार्मिक के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सभी प्रगणक 29 मार्च (रविवार) एवं 5 अप्रैल (रविवार) को संबधित मतदान केन्द्र पर पूर्ण दिवस उपस्थित रहकर दावें व आपत्तियाँ प्राप्त करेगें।

विद्यार्थियों को मिले गुणवत्तापूर्ण शिक्षा : रामसहाय वर्मा

निवाई। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बीआरसीएफ समग्र शिक्षा निवाई के तत्वावधान में ब्लॉक के समस्त राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संस्था प्रधानों का दो दिवसीय सत्रांत प्रधानाध्यापक वाकपीठ संगोष्ठी का हनुमान नगर स्थित राधारानी मैरिज गार्डन में आयोजन किया गया।

जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक रामसहाय वर्मा, विशिष्ट अतिथि डीवाईएसपी रविप्रकाश शर्मा, अध्यक्षता कर रही मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मंजू जी मीणा, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रमेश विजय एवं एसीबीईओ मीना भदोरिया द्वारा मां शारदे के चित्र के समक्ष दी प्रज्जवलित करके किया। मुख्य अतिथि विधायक रामसहाय वर्मा कहा कि सरकार की मंशा है कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले।

दो दिवसीय सत्रांत संगोष्ठी का आयोजन हुआ ।

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मीणा ने प्रशासनिक उद्बोधन देते हुए गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, प्रवेश उत्सव एवं नामांकन वृद्धि सहित शैक्षिणक गतिविधियों की जानकारी दी।

संगोष्ठी के सचिव रामकिशोर सैनी ने बताया कि संगोष्ठी को लेकर पंजीकरण व प्रशासनिक सत्रों का आयोजन हुआ। संगोष्ठी में अति मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मीना भदोरिया ने विद्यालय नामांकन वृद्धि एवं सर्वांगीण विकास में प्रधानाध्यापक की भूमिका पर विचार व्यक्त किए। कौशलेन्द्रसिंह राजावत ने ज्ञानसंकल्प पोर्टल, हेमलता विजयवर्गीय ने प्रवेशोत्सव पर जानकारी दी।

रामगढ़ पचवारा में संस्था प्रधानों की संगोष्ठी शुरू

■ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि केवल पाठ्यक्रम तक सीमित न रहकर विद्यार्थियों में अनुशासन, नैतिक मूल्यों और कौशल विकास को भी प्राथमिकता दें

लालसोट । उपखंड क्षेत्र के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संस्था प्रधानों की दो दिवसीय सत्रांत वाकपीठ संगोष्ठी का शुभारंभ शुक्रवार को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नौरंगपुरा में उत्साहपूर्वक हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पवन कुमार जैन, पीईईओ वासुदेव शर्मा, वाइस प्रिंसिपल रामावतार मीना, संयोजक रमेश मीना एवं संगोष्ठी अध्यक्ष नवीन शर्मा सुकार द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन कर की गई। इस दौरान अतिथियों व भामाशाहों का साफा, माल्यार्पण एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर भव्य स्वागत किया गया। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पवन कुमार जैन ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान दौर में शिक्षा क्षेत्र में नवाचार और गुणवत्ता सुधार समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने संस्था प्रधानों से आव्हान किया कि वे केवल पाठ्यक्रम तक सीमित न रहकर विद्यार्थियों में अनुशासन, नैतिक मूल्यों और कौशल विकास को भी प्राथमिकता दें।संगोष्ठी के दौरान विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों ने विचार प्रस्तुत किए। महेश कुमार बैरवा (प्रधानाचार्य, अमराबाद) ने नई शिक्षा नीति 2020 पर विस्तार से प्रकाश डाला। वहीं सूरजमल बुनकर (संस्था प्रधान, राणोली) ने विद्यालय सुरक्षा एवं बाल संरक्षण के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। राजेश कुमार गुर्जर (प्रधानाध्यापक, राउप्रावि माद्या ढाणी ढोलावास) ने विद्यालय विकास योजना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सुधार के उपायों पर अपने विचार रखे।

इस अवसर पर शिक्षक संघ ब्लॉक अध्यक्ष सतीश सैन सहित भामाशाह रामोतार मीना, रामफूल मीना, रघुनाथ मीना, रामभजन मीना, लालाराम मीना, राजेश मीना, रामकेश मीना, मुकेश मीना (अध्यक्ष) एवं विद्यालय स्टाफ सहित क्षेत्र के अनेक गणमान्य नागरिकों की गरिमामयी उपस्थिति रही।

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

आम सूचना सर्व साधारण को मेरे अभिभाष्य श्री किशन चन्द पुत्र स्व. श्री करमचन्द चंदीरामानी, जाति- सिन्धी, निवासी- प्लॉट नं.-92, आनन्द विहार-जी, नाडी का फाटक, वैनाड़ रोड, झोटवाड़ा, जयपुर की ओर से सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य का छोटा पुत्र संजू उर्फ संजय कुमार मेरे अभिभाष्य के कहने मे नही है एवं आये दिन लड़ाई झगड़ा करता है एवं गलत संगत मे पड़ गया है, इस कारण मेरे अभिभाष्य ने उससे अपने समस्त प्रकार के सम्बन्ध समाप्त कर उसे अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति, जायदाद इत्यादि से अलग कर दिया है। यदि कोई व्यक्ति संजू उर्फ संजय कुमार से किसी प्रकार का कोई लेनदेन, संव्यवहार, व्यापार, सम्पत्ति अन्तरण आदि करता है तो मेरा अभिभाष्य कतई उत्तरदायी नही होगा।
(दिनेश कुमार शर्मा) एडवोकेट, मोबाईल : 9828035260

आम सूचना
मेरे अभिभाष्य मो. इरफान पुत्र श्री मो. शकील निवासी 249, बड़ी मस्जिद के पीछे, जालूपुरा, जयपुर, राज 302001 की ओर से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य का पुत्र मोहम्मद आरीयन पुत्र श्री मोहम्मद इरफान निवासी- 249, बड़ी मस्जिद के पीछे, जालूपुरा, जयपुर, राज - 302001 कुछ समय से मेरे अभिभाष्य व उसके पुत्र के बीच मतभेद होने के कारण एवं गलत संगत व दुराचारी लोगों के प्रभाव में पड़कर मेरे अभिभाष्य से अलग हो गया था। इसलिए मेरे अभिभाष्य द्वारा अपने पुत्र मोहम्मद आरीयन को अपनी चल अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है। 'मेरे अभिभाष्य का अपने पुत्र मोहम्मद आरीयन से कोई सम्पर्क अथवा उसको कोई सहयोग नहीं है। उक्त मोहम्मद आरीयन से किसी भी लेन देन, संव्यवहार रिश्तेदारी इत्यादि के लिए किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था व किसी प्रकार का कोइ फौजदारी मुकदमा होता है तो उसकी भी प्रति मेरे अभिभाष्य की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
जयपुर दिनांक 27/3/26 MOHD ZUNAID KHAN (ADVOCATE)

कार्यालय ग्राम पंचायत भदलाव पंचायत समिति स.मा., जिला सवाई माधोपुर
क्रमांकः110-111 **ई-निविदा सूचना संख्या-07/2025-26** दिनांकः25/03/2026
पंचायत समिति सवाई माधोपुर के अधीन ग्राम पंचायत भदलाव में विभिन्न योजना में स्वीकृत कार्यों हेतु निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्युरमेन्ट प्रकिया में सक्षम श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित नियम, शर्ते व सम्बन्धी दस्तावेज लोक उपापन की वेबसाइट www.sppp.rajasthan.gov.in एवं www.eproc.rajasthan.gov.in पर देखे एवं डाउनलोड किये जा सकते है।
ग्राम विकास अधिकारी — राधा देवी, प्रशासक
ग्राम पंचायत भदलाव पं.स.सवाई माधोपुर — NIB : ZSM2526A0898, UBN : ZSM2526WSOB01023 — ग्राम पंचायत भदलाव पं.स.सवाई माधोपुर

कार्यालय ग्राम पंचायत रांवल, पंचायत समिति स.मा., जिला सवाई माधोपुर
क्रमांक-60-61 **ई-निविदा सूचना संख्या-05/2025-26** दिनांक -25/03/2026
पंचायत समिति सवाई माधोपुर के अधीन ग्राम पंचायत रांवल में विभिन्न योजना में स्वीकृत कार्यों हेतु निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्युरमेन्ट प्रकिया में सक्षम श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित नियम, शर्ते व सम्बन्धी लोक उपापन की वेबसाइट www.sppp.rajasthan.gov.in एवं www.eproc.rajasthan.gov.in दस्तावेज पर देखे एवं डाउनलोड किये जा सकते है।
ग्राम विकास अधिकारी — प्रशासक
ग्राम पंचायत रांवल पं.स.सवाई माधोपुर — NIB : ZSM2526A0897, UBN : ZSM2526WSOB01022 — ग्राम पंचायत रांवल पं.स.सवाई माधोपुर

कार्यालय नगर निगम जयपुर
सेक्टर-9 गोखले मार्ग, शिप्रा पथ रोड मानसरोवर जयपुर
क्रमांक :- जसअ/2025/557 दिनांकः 23.03.2026
ई-निविदा सूचना सं. अधि0 अभि0 (मानसरोवर जोन) -165 से 166/2025-26
केन्द्र एवं राज्य सरकार के सभी विभागों में पंजीकृत संवेदको एवं नगर निगम जयपुर के पंजीकृत निविदादाताओं से बिड अधि0 अभि0 (मानसरोवर जोन) से सम्बन्धित विकास कार्य की निविदा आमंत्रित की जाती है। कार्य की अनुमानित लागत, टेण्डर बेचे जाने तथा प्राप्त करने की तारीख, टेण्डर शर्त आदि सम्पूर्ण विवरण नगर निगम जयपुर की वेबसाईट www.jaipurmc.org.com व http://sppp.raj.nic.in & eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। जिसका sppp पोर्टल यू.बी.ई.एन. नं. JMC2526WSOB02969 & JMC2526WSOB02970 है। उक्त निविदा को http://sppp.raj.nic.in पर दिनांक 19.03.2026 को अपलोड करवा दिया जायेगा।
अधिशाषी अभियन्ता मानसरोवर जोन नगर निगम जयपुर
राज.संवाद/सी/25/23425

नाम परिवर्तन मेरा नाम वर्तमान में जीतपाल नागवंश है। मेरा पुराना नाम रणजीत नागरवाल था। जिसको मैने नाम परिवर्तन करवाकर मेरे आधार कार्ड में मेरा सही नाम जीतपाल नागवंश पुत्र रवि प्रकाश बैरवा निवासी दामोदरपुरा बासडा तह. निवाई जिला टोंक करवा दिया है। अतः भविष्य में मुझे जीतपाल नागवंश के नाम से ही जाना जावें।

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्यगण श्री राजेश कुमार पुत्र श्री मदन सिंह निवासी ग्राम जसरापुर कोठी की ढाणी बालाजी मंदिर के पास खेतड़ी जिला झुंझुनू राजस्थान व श्री अमित कुमार पुत्र श्री मदन सिंह निवासी मकान नम्बर 378, सुन्दर नगर, बरवाडा रोड़ हिसार हरियाणा द्वारा श्री रामकिशोर चौधरी पुत्र श्री श्रवण लाल चौधरी निवासी पत्रकार कॉलोनी के पास विधानसभा नगर, टौलाई, मानसरोवर, जयपुर राजस्थान व श्री अजय चौधरी पुत्र श्री रामनिवास चौधरी निवासी 5, रुपवती की ढाणी, पत्रकार कॉलोनी के पास, टौलाई, जयपुर राजस्थान से उनके संयुक्त स्वामित्व व अधिपत्य की सम्पत्ति प्लाट नम्बर ए-48-ए सीताराम विहार विस्तार-ए ब्लॉक, ग्राम रामपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर राजस्थान मे स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 113.97 वर्गगज है को खरीद करने हेतु एच.डी.एफ.सी. बैंक लि. से ऋण प्राप्त कर उक्त सम्पत्ति को बंधक रखना चाहते है। यदि किसी भी व्यक्ति, संस्था, बैंक आदि को उक्त सम्पत्ति के खरीद/बंधक से किसी भी प्रकार का कोई हितराज हो तो 7 दिवस के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता से लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सम्पर्क करे, बाद गुजरने मियाद किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।
(रामेश्वर सिंह राठौड़) एडवोकेट, मो.नं. 9829256466 डांगरथल हाऊस, नाना जी का बाग, मोती डूंगरी रोड, फतेह टीबा मार्ग, जयपुर-302004

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-19, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
क्रमांकः 90A/JDA/2025-26/100580 दिनांकः 25/03/2026 **लोक सूचना**
श्री DEVINE BUILDTECH LLP AUTHORISED SIGNATORY DEEPAK KUMAR SHARMA पुत्र श्री VIJAY KUMAR SHARMA जाति BRAHMAN कार्यालय E-44, LAL BAHADUR NAGAR, RAMJIPURA, JLN MARG, JAIPUR ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **औद्योगिक** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है. अर्थातः-

ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं. "कुल किता 16"	क्षेत्रफल (हैक्टे.)	रूपांतरण क्षेत्रफल (हैक्टे.)
महला, मौजमाबाद (जयपुर)	मैसर्स डिवाईन बिल्डटेक एल. एल.पी. हिस्सा पूर्ण जाति N/A पंजीकृत कार्यालय ई - 44 लाल बहादुर नगर रामजीपुरा JLN मार्ग मालवीय नगर जयपुर खातेदार	1597, 1598, 1596, 1599, 1600, 1603, 1606, 1607, 1608, 1611, 1612, 1630, 1631, 1632, 1604, 1605	0.03, 0.21 0.45, 0.23 0.27, 0.08 0.01, 0.18 0.05, 0.12 0.13, 0.03 0.26, 0.02 0.39, 0.31	0.03, 0.21, 0.45, 0.23 0.27, 0.08, 0.01, 0.18 0.05, 0.12, 0.13, 0.03 0.26, 0.02, 0.39, 0.31
		कुल		2.77

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी SSO ID से लॉग इन कर JDA के 90-A मॉड्यूल अथवा जे.डी.ए. पोर्टल (https://jda.rajasthan.gov.in/) पर विज्ञप्ति के विरुद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करें।" Option में जाकर जारी सार्वजनिक सूचना के विरुद्ध अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कराएं । उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 25-03-2026 को जारी की गयी।
प्राधिकृत अधिकारी जोन-19 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

निलामी सूचना
स्थानीय विद्यालय के अनुपयोगी/नकारा/अक्रियाशील आई.सी.टी.लैब उपकरणों को निलामी जिसका पुस्तक मूल्य 210900/- है दिनांक 06.04.26 को प्रातः 10 बजे विद्यालय प्रागंण में खुली बोली द्वारा किया जाना है। इच्छुक फर्म/व्यक्ति नियमानुसार 2% धरोहर राशि जमा करवाकर उक्त निलामी प्रक्रिया मे भाग ले सकता है। शेष शर्ते व निलामी सामान को किसी भी कार्य दिवस में आकर देखी जा सकती है।
प्रधानाचार्य/PEEO
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नवरंगपुरा (विराटनगर) कोटपूतली-बहरोड

खोया पाया
भगवान महावीर पुरूषार्थ प्रेरणा निधी न्यास जयपुर का मीटिंग रजिस्टर कहीं गुम हो गया है मिलने पर सूचित करें। विवेक काला- ट्रस्टी, 9829066611

भूखण्ड सं.-A-276 जे.डी.ए. की योजना बक्शावाला जयपुर का जे.डी.ए. से जारी मूल आवंटन-पत्र और जे.डी.ए. की रसीद कही गुम हो गयी है मिलने पर सूचित करे- अनिल कुमार शर्मा मो. 9460064661

हमारे प्लॉट नं. F-1 क्षैत्र 478.75 व F-2 क्षैत्र 450 वर्गगज के अचरोल गृह निर्माण सहकारी समिति लीमिटेड रजि. नं. 2608/L की आवासीय योजना ओम एन्क्लेव 2 विलेज पहाड़िया रोहिणी एन्क्लेव फागी के पास के असल आवंटन पत्र रसीदे साइड प्लान कही गिर गये है मिलने पर संपर्क करे। शंकर लाल शर्मा, बाबू लाल शर्मा- 9983780922

नाम परिवर्तन
मैने मेरा नाम विवाह पश्चात् रमा चाँद से बदलकर रमा चाँद श्रीवास्तव पत्नी प्रतीक श्रीवास्तव रख लिया है भविष्य में इसी नाम से जाना जावे निवासी सी-71, शिव मार्ग, डूंडलोद कॉलोनी, हवा सड़क, जयपुर राजस्थान 302025

मैं Kunjannamma Jose निवासी- 175 महारानी फार्म, विधिस्थली स्कूल लेन, दुर्गापुरा, मानसरोवर, जयपुर-302018 घोषित करती हूं कि मेरे पासपोर्ट में मेरा नाम गलती से Kunjannamma Karuveli दर्ज हो गया है। मेरा सही नाम Kunjannamma Jose है। शपथ पत्र दिनांक 26.03.2026

I have changed my name SANDIP KUMAR AGARAWAL to SANDEEP AGRAWAL. In the future, I should be known and recognized by this name. Plot 177, T2, Shyam Kripa, Vishvesariya nagar Vistar, Triveni, Gopalpura, Jaipur.

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम 01 जयपुर महानगर द्वितीय
सैकेट्री शिक्षा विरूद्ध ओम प्रकाश
वाद बाबत अनुबन्ध की विशिष्ट पालना एवं स्थाई निषेधाज्ञा
वाद संख्या... सन् 2025 CS 58/25
वनाम श्रीमती मंजू शर्मा पत्नि श्री सुभाष गुप्ता पुत्री स्व.श्री जुगल किशोर तालुका निवासी प्लाट नं.34 एस.एम.एस.कॉलोनी, महारानी फार्म, दुर्गापुरा जयपुर .....ने आपके विरूद्ध...के लिए वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 28 माह 3 सन् 26 को दिन में.... बजें दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिए वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वंय या किसी ऐसी प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हो ओर जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपकों यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें ओर उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जें में या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल / सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। ओर यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावें के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय मैं उपंसजात नहीं होगे तो वाद की सुनवाई ओर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह वाद ता. 27 माह 03 सन् 26 को मेरे हस्ताक्षर से ओर न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
मोहर अदालत
रीडर ग्रेड-प्रथम अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम-01 जयपुर महानगर द्वितीय

कार्यालय नगर पालिका मण्डल, चाकसू
क्रमांक/न.पा.चा./2026/9242 दिनांक :- 23.03.2026
आपत्ति आमंत्रण सूचना
एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस नगरपालिका क्षेत्र में स्थित विभिन्न भूखण्डों की निम्नानुसार पत्रावली/ प्रार्थना पत्र मय साईट प्लान राजस्थान नगरीय क्षेत्र कृषि भूमि के अकृषि उपयोग के अनुज्ञा एवं आवंटन नियम 2012 के तहत् निस्तारण हेतु विचाराधीन है :-

क्र.सं.	नाम	पिता/पतिकानाम	पता	एरिया	विषय
1.	M/s. MANSUKH REALTY	THROUGH Mr. DEEPAK JAIN S/o Mr. DINESH CHAND JAIN	भू.सं.40, KRISHANA CITY, CHAKSU	92.96 वर्गमीटर	नियमन
2.	M/s. MANSUKH REALTY	THROUGH Mr. DEEPAK JAIN S/o Mr. DINESH CHAND JAIN	भू.सं.46, KRISHANA CITY, CHAKSU	92.96 वर्गमीटर	नियमन
3.	M/s. MANSUKH REALTY	THROUGH Mr. DEEPAK JAIN S/o Mr. DINESH CHAND JAIN	भू.सं.43, KRISHANA CITY, CHAKSU	92.96 वर्गमीटर	नियमन
4.	M/s. MANSUKH REALTY	THROUGH Mr. DEEPAK JAIN S/o Mr. DINESH CHAND JAIN	भू.सं.37, KRISHANA CITY, CHAKSU	105.83 वर्गमीटर	नियमन
5.	M/s. MANSUKH REALTY	THROUGH Mr. DEEPAK JAIN S/o Mr. DINESH CHAND JAIN	भू.सं.92, KRISHANA CITY, CHAKSU	139.37 वर्गमीटर	नियमन
6.	M/s. MANSUKH REALTY	THROUGH Mr. DEEPAK JAIN S/o Mr. DINESH CHAND JAIN	भू.सं.41, KRISHANA CITY, CHAKSU	92.96 वर्गमीटर	नियमन
7.	M/s. MANSUKH REALTY	THROUGH Mr. DEEPAK JAIN S/o Mr. DINESH CHAND JAIN	भू.सं.56, KRISHANA CITY, CHAKSU	83.69 वर्गमीटर	नियमन
8.	M/s. MANSUKH REALTY	THROUGH Mr. DEEPAK JAIN S/o Mr. DINESH CHAND JAIN	भू.सं.53, KRISHANA CITY, CHAKSU	83.69 वर्गमीटर	नियमन
9.	M/s. MANSUKH REALTY	THROUGH Mr. DEEPAK JAIN S/o Mr. DINESH CHAND JAIN	भू.सं.61, KRISHANA CITY, CHAKSU	111.12 वर्गमीटर	नियमन
10.	M/s. MANSUKH REALTY	THROUGH Mr. DEEPAK JAIN S/o Mr. DINESH CHAND JAIN	भू.सं.85, KRISHANA CITY, CHAKSU	139.37 वर्गमीटर	नियमन
11.	M/s. MANSUKH REALTY	THROUGH Mr. DEEPAK JAIN S/o Mr. DINESH CHAND JAIN	भू.सं.86, KRISHANA CITY, CHAKSU	139.37 वर्गमीटर	नियमन
12.	M/s. MANSUKH REALTY	THROUGH Mr. DEEPAK JAIN S/o Mr. DINESH CHAND JAIN	भू.सं.84, KRISHANA CITY, CHAKSU	139.37 वर्गमीटर	नियमन
13.	M/s. MANSUKH REALTY	THROUGH Mr. DEEPAK JAIN S/o Mr. DINESH CHAND JAIN	भू.सं.90, KRISHANA CITY, CHAKSU	139.37 वर्गमीटर	नियमन
14.	M/s. MANSUKH REALTY	THROUGH Mr. DEEPAK JAIN S/o Mr. DINESH CHAND JAIN	भू.सं.88, KRISHANA CITY, CHAKSU	139.37 वर्गमीटर	नियमन
15.	M/s. MANSUKH REALTY	THROUGH Mr. DEEPAK JAIN S/o Mr. DINESH CHAND JAIN	भू.सं.65, KRISHANA CITY, CHAKSU	79.97 वर्गमीटर	नियमन
16.	M/s. MANSUKH REALTY	THROUGH Mr. DEEPAK JAIN S/o Mr. DINESH CHAND JAIN	भू.सं.91, KRISHANA CITY, CHAKSU	139.37 वर्गमीटर	नियमन
17.	M/s. MANSUKH REALTY	THROUGH Mr. DEEPAK JAIN S/o Mr. DINESH CHAND JAIN	भू.सं.44, KRISHANA CITY, CHAKSU	92.96 वर्गमीटर	नियमन
18	M/s. MANSUKH REALTY	THROUGH Mr. DEEPAK JAIN S/o Mr. DINESH CHAND JAIN	भू.सं.87, KRISHANA CITY, CHAKSU	139.37 वर्गमीटर	नियमन
19	M/s. MANSUKH REALTY	THROUGH Mr. DEEPAK JAIN S/o Mr. DINESH CHAND JAIN	भू.सं.47, KRISHANA CITY, CHAKSU	92.96 वर्गमीटर	नियमन
20	M/s. MANSUKH REALTY	THROUGH Mr. DEEPAK JAIN S/o Mr. DINESH CHAND JAIN	भू.सं.57, KRISHANA CITY, CHAKSU	83.69 वर्गमीटर	नियमन
21	M/s. MANSUKH REALTY	THROUGH Mr. DEEPAK JAIN S/o Mr. DINESH CHAND JAIN	भू.सं.60, KRISHANA CITY, CHAKSU	99.53 वर्गमीटर	नियमन
22	M/s. MANSUKH REALTY	THROUGH Mr. DEEPAK JAIN S/o Mr. DINESH CHAND JAIN	भू.सं.63, KRISHANA CITY, CHAKSU	112.64 वर्गमीटर	नियमन
23	M/s. MANSUKH REALTY